NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 07-08-2026

विषय सूची

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026

सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) आरक्षण में आय-आधारित क्रीमी लेयर का विरोध किया

भारतीय विदेश सचिव ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ वार्ता की

राष्ट्रीय परिपत्र जैव-ऊर्जा योजना (गोबरधन योजना)

अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (RDI) कोष के अंतर्गत ऋण वितरण

संक्षिप्त समाचार

राज्यसभा ने ₹54,067 करोड़ के व्यय हेतु विनियोग विधेयक पारित किया 16

गुड समैरिटन (Good Samaritan) योजना

ब्लू ज़ोन्स

फरक्का संधि

भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए उपाय

तृतीय-पक्ष बीमा कवरेज

अग्नि-4

पर्यावरण संरक्षण हेतु डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन पुरस्कार

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026

सन्दर्भ

- 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में भारतीय हथकरघा क्षेत्र के योगदान को मान्यता दी, जो सांस्कृतिक विरासत को सतत आर्थिक विकास के साथ जोड़ता है।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का परिचय

- राष्ट्रीय हथकरघा दिवस **प्रतिवर्ष 7 अगस्त** को मनाया जाता है। यह **1905 में स्वदेशी आंदोलन के शुभारंभ की स्मृति** में मनाया जाता है, जिसने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया।
- भारत सरकार ने **2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित** किया।
- यह अवसर भारत की बुनाई परंपराओं का उत्सव मनाता है तथा हथकरघा श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक योगदान को मान्यता प्रदान करता है।
- यह 35.22 लाख बुनकरों एवं संबद्ध श्रमिकों को सम्मानित करता है, जिनमें 72% से अधिक महिलाएँ हैं।

भारत का हथकरघा उद्योग

- भारतीय हथकरघा उद्योग विश्व के सबसे प्राचीन एवं सबसे जीवंत कुटीर उद्योगों में से एक है।

हथकरघा जनगणना:

- भारत अब तक चार हथकरघा जनगणनाएँ कर चुका है: 1987-88, 1995-96, 2009-10 और 2019-20।
- इनका आयोजन औसतन 8–12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है।
- चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना (2019–20) के अनुसार, लगभग 35.22 लाख परिवार इस कार्य से जुड़े हैं तथा आर्थिक रूप से सक्रिय हथकरघा बुनकरों में लगभग 72% महिलाएँ हैं।
- **शीर्ष निर्यात गंतव्य**: वित्त वर्ष 2024-25 में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा, इसके बाद क्रमशः संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम का स्थान रहा।
- **उत्पाद**: वर्ष 2024-25 में निर्मित गृह-सज्जा उत्पाद जैसे कुशन कवर, पर्दे, टेबल लिनेन तथा अन्य घरेलू वस्तुओं का योगदान 42.4% रहा। इसके बाद फर्श आवरण जैसे कालीन, गलीचे और चटाइयों का योगदान 40.6% रहा।
- परिधान सहायक सामग्री का योगदान 12.7%, जबकि कपड़ों (फैब्रिक्स) का योगदान 4.3% रहा।

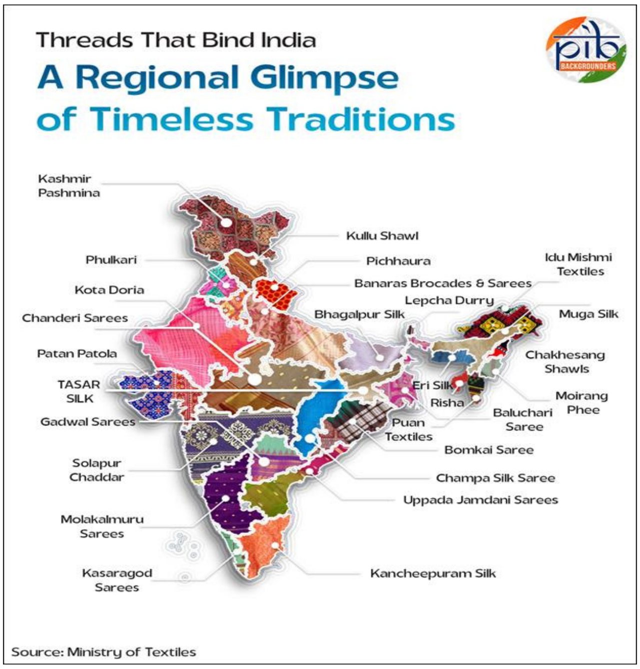

उद्योग के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **बुनकरों की घटती संख्या**: कम आय, सामाजिक सुरक्षा का अभाव तथा आधुनिक कौशल प्रशिक्षण की कमी के कारण युवा पीढ़ी इस व्यवसाय से दूर हो रही है।
- पारंपरिक बुनकरों की आयु बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यबल लगातार घट रहा है।
- **आर्थिक संकट**: कच्चे माल (कपास, रेशम और रंगों) की कीमतें अधिक हैं, जबकि बिचौलियों द्वारा शोषण के कारण उत्पादों के विक्रय मूल्य कम मिलते हैं।
- **पावरलूम एवं मिलों से प्रतिस्पर्धा**: मशीनों से बड़े पैमाने पर कपड़ों का उत्पादन होता है, जो सस्ते, शीघ्र तैयार होने वाले तथा बाजार पर नियंत्रण रखने वाले होते हैं।
- बेहतर गुणवत्ता और विशिष्टता होने के बावजूद हथकरघा उत्पाद प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध नहीं हो पाते।
- **कमज़ोर विपणन एवं ब्रांडिंग**: ब्रांडिंग, आधुनिक खुदरा व्यवस्था तथा ई-कॉमर्स को पर्याप्त रूप से अपनाने की कमी के कारण घरेलू एवं वैश्विक बाजारों में सीमित पहुँच है।
- प्रौद्योगिकी एवं कौशल संबंधी अंतराल: पारंपरिक करघे कम उत्पादक हैं तथा उनमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है।
- **वैश्वीकरण एवं आयात से प्रतिस्पर्धा**: सस्ते आयात (विशेषकर चीन और बांग्लादेश से) भारतीय बाजारों में बड़ी मात्रा में आ रहे हैं।
- उच्च उत्पादन लागत तथा निर्यात संवर्धन के लिए आक्रामक प्रयासों की कमी के कारण भारतीय हथकरघा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष कर रहा है।

हथकरघा बुनकरों के लिए सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र

- **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP):** NHDP को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए लागू करने हेतु तैयार किया गया।
- यह हथकरघा क्षेत्र के समेकित विकास के लिए आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसका मुख्य केंद्र हथकरघा बुनकरों का कल्याण है।

- **कच्चा माल आपूर्ति योजना (Raw Material Supply Scheme - RMSS):** यह योजना सभी प्रकार के धागों (यार्न) के परिवहन (फ्रेट) शुल्क की प्रतिपूर्ति करके बुनकरों को धागे की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता करती है।
- यह निर्धारित मात्रा सीमा के अधीन निर्दिष्ट धागों पर 15% मूल्य सब्सिडी भी प्रदान करती है।
- **हथकरघा एवं पारंपरिक शिल्प के लिए GST राहत**: वर्ष 2025 में आयोजित 56वीं GST परिषद की बैठक में अनुशंसित अगली पीढ़ी के GST सुधारों में हथकरघा क्षेत्र के समर्थन हेतु कई उपाय शामिल किए गए।
- GST युक्तिकरण के अंतर्गत 36 हस्तशिल्प वस्तुओं पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई।
- सूती हथकरघा गलीचों एवं हाथ से बुने कालीनों को भी 5% GST की श्रेणी में शामिल किया गया।
- घरेलू एवं औद्योगिक सिलाई मशीनों पर GST दर भी 12% से घटाकर 5% कर दी गई, जिससे सिलाई इकाइयों की लागत कम हुई तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिला।
- **केंद्रीय बजट 2026-27 में वस्त्र क्षेत्र पर विशेष बल देते हुए कई नए उपायों की घोषणा की गई:**
- **राष्ट्रीय फाइबर योजना (National Fibre Scheme)** का उद्देश्य वस्त्र उद्योग के कच्चे माल के आधार को सुदृढ़ करना है।
- **वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना (Textile Expansion and Employment Scheme)** के अंतर्गत पारंपरिक वस्त्र क्लस्टरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- **महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल (Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative)** के माध्यम से खादी, हथकरघा एवं हस्तशिल्प को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे बुनकरों, ग्रामोद्योगों, ग्रामीण युवाओं तथा एक जिला एक उत्पाद (ODOP) पहल को लाभ मिलेगा।

निष्कर्ष

- भारत का हथकरघा क्षेत्र विरासत, सतत विकास और आर्थिक अवसरों का एक अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है।
- पारंपरिक शिल्पकला को आधुनिक प्रौद्योगिकी, डिज़ाइन नवाचार तथा वैश्विक बाजारों तक पहुँच के साथ एकीकृत करके हथकरघा विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। इससे भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण होगा तथा महिलाओं के नेतृत्व वाली समावेशी ग्रामीण आजीविकाओं का सृजन होगा।

स्रोत: TH, PIB

सरकार ने SC/ST आरक्षण में आय-आधारित क्रीमी लेयर का विरोध किया

सन्दर्भ

- सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि "क्रीमी लेयर" की अवधारणा को अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण पर लागू नहीं किया जा सकता।

परिचय

- **पृष्ठभूमि**: सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की तरह SC/ST की आरक्षित श्रेणियों के भीतर भी क्रीमी लेयर को बाहर करने की मांग की गई थी।

- न्यायालय ने 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जिसने SC/ST के भीतर उप-वर्गीकरण (Sub-categorisation) का मार्ग प्रशस्त किया था, के बाद केंद्र सरकार से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report) भी दाखिल करने को कहा था।
- **सरकार का पक्ष**: सरकार ने तर्क दिया कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अब तक केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पर ही लागू किया गया है।
- SC/ST के लिए आय-आधारित क्रीमी लेयर की मांग न तो कोई संवैधानिक प्रश्न उठाती है और न ही संविधान के अंतर्गत किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन को दर्शाती है।
- आरक्षण नीति केवल आर्थिक स्थिति पर आधारित नहीं है, बल्कि जनजातीय पहचान, सामाजिक पिछड़ापन और जाति जैसे ऐतिहासिक एवं सामाजिक मानदंडों पर आधारित है।
- आरक्षित श्रेणियों में विशेषकर आय-आधारित प्राथमिकताओं को शामिल करने जैसा कोई भी संशोधन समग्र समीक्षा एवं विस्तृत अनुभवजन्य अध्ययन के बाद ही किया जा सकता है।

भारत में आरक्षण

- वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्यक्ष भर्ती में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- **भारतीय संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019** राज्य (केंद्र एवं राज्य सरकारों) को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण प्रदान करने का अधिकार देता है।

क्रीमी लेयर सिद्धांत

- यह एक ऐसी अवधारणा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ किसी वर्ग के भीतर वास्तव में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से वंचित लोगों तक पहुँचे।
- इसका उद्देश्य आरक्षित वर्ग के अपेक्षाकृत समृद्ध या अधिक लाभान्वित सदस्यों को आरक्षण का लाभ लेने से रोकना है।
- **उत्पत्ति**: इस अवधारणा को पहली बार 1992 के इंद्रा साहनी वाद (मंडल आयोग मामला) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया था।
- न्यायालय ने कहा था कि OBC वर्ग के भीतर जो अपेक्षाकृत अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
- **प्रभाव**: क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने से सरकार की सकारात्मक भेदभाव (Affirmative Action) नीतियाँ अधिक प्रभावी एवं न्यायसंगत बनती हैं तथा वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुँचता है।

आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 16:** सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है, किंतु अपवादस्वरूप राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण दे सकता है, जिनका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **अनुच्छेद 16(4A)**: यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य पदोन्नति में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।
- **अनुच्छेद 335:** यह मान्यता देता है कि SC/ST के दावों पर विचार करते समय उन्हें सेवाओं एवं पदों में समान स्तर पर लाने के लिए विशेष उपाय आवश्यक हैं।
- **भारतीय संविधान का 103वाँ संशोधन**: समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है।

अनुसूचित जातियों (SC) के उप-वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने 6:1 के बहुमत से अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता को बरकरार रखा तथा E.V. Chinnaiah बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004) में पाँच-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को पलट दिया।
- न्यायालय ने कहा कि SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान के मानदंड OBC से भिन्न होने चाहिए।

2024 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के तर्क:

- अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अर्थ समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना है, लेकिन यह राज्य को भिन्न परिस्थितियों वाले समूहों का वर्गीकरण करने की अनुमति भी देता है।
- यदि कोई आरक्षित वर्ग (जैसे अनुसूचित जाति) आंतरिक रूप से एकरूप नहीं है, तो लाभों के न्यायसंगत वितरण के लिए राज्य उसके भीतर छोटे समूह बना सकता है।
- **एकरूप नहीं**: अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी सूची एक वैधानिक कल्पना (Legal Fiction) है, जिसका उद्देश्य वंचित समूहों की पहचान करना है, न कि उन्हें एक समान वर्ग मानना।
- SC सूची में शामिल होने का अर्थ यह नहीं है कि लक्षित लाभों के लिए आगे वर्गीकरण नहीं किया जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उप-वर्गीकरण निम्न आधारों पर होना चाहिए:

- परिमाणात्मक (Quantifiable) आँकड़े;
- अधिक वंचित होने का प्रमाण;

- सार्वजनिक सेवाओं में अपर्याप्त एवं अप्रभावी प्रतिनिधित्व का साक्ष्य;
- राज्य मनमाना वर्गीकरण न करें, बल्कि उसका तर्क एवं अनुभवजन्य आधार प्रस्तुत करें;
- केवल संख्यात्मक उपस्थिति नहीं, बल्कि प्रभावी प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है।

पक्ष में तर्क

- **SC के भीतर असमान पिछड़ापन**: SC समुदायों की कुछ जातियाँ अन्य की तुलना में अधिक सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं तथा लगातार कम प्रतिनिधित्व में रही हैं।
- असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना असमानता को बनाए रखता है और आरक्षण के उद्देश्य को विफल करता है।
- **एकरूप नहीं:** अनुच्छेद 341 के अंतर्गत SC सूची सकारात्मक भेदभाव के लिए बनाई गई एक वैधानिक कल्पना है।
- तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सूची में शामिल होने का अर्थ यह नहीं कि सभी जातियाँ समान हैं; कानून को आंतरिक भिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए।
- **संवैधानिक आधार**: अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते हैं।
- **प्रभावी प्रतिनिधित्व को बढ़ावा**: उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि वास्तविक एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। उप-वर्गीकरण इससे सहायता कर सकता है।
- **अनुभवजन्य आँकड़ों पर आधारित**: इससे सरकार वहाँ सकारात्मक भेदभाव की नीतियाँ लागू कर सकती है, जहाँ उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

विरोध में तर्क

- **अनुच्छेद 341:** SC सूची में संशोधन का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। राज्यों द्वारा उप-वर्गीकरण को सूची में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप तथा राज्य की शक्तियों से परे माना जाता है।
- **समुदाय के भीतर विभाजन**: उप-कोटा SC समुदायों के भीतर जाति-आधारित विभाजन को बढ़ा सकता है तथा उनकी सामूहिक राजनीतिक शक्ति एवं सामाजिक एकजुटता को कमजोर कर सकता है।
- **मानदंड तय करने की चुनौती**: SC के भीतर वंचितता मापने के लिए वस्तुनिष्ठ एवं अनुभवजन्य मानदंड निर्धारित करना कठिन है। इससे गलत वर्गीकरण एवं कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
- **क्रीमी लेयर बहस को बढ़ावा**: SC के लिए क्रीमी लेयर लागू करने से उन्हें प्राप्त संवैधानिक संरक्षण कमजोर पड़ सकता है। SC का आरक्षण केवल आर्थिक पिछड़ेपन पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक भेदभाव एवं सामाजिक कलंक पर आधारित है, जो आय बढ़ने के बाद भी बना रह सकता है।

आगे की राह

- **संवैधानिक सीमाओं के भीतर**: सुनिश्चित किया जाए कि उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 14, 15(4), 16(4) के अनुरूप हो तथा अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सूची में कोई परिवर्तन न करे।
- **क्रीमी लेयर की लागू करने की संभावना का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन**: यदि SC/ST पर लागू किया जाए, तो OBC से अलग मानदंड निर्धारित किए जाएँ ताकि इन समूहों को प्राप्त ऐतिहासिक संरक्षण कमजोर न हो।
- **सामाजिक उत्थान के उपायों को सुदृढ़ करना**: आरक्षण के साथ लक्षित शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता सहायता तथा भेदभाव-रोधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को भी बढ़ावा दिया जाए।
- **सामाजिक समरसता को बढ़ावा**: नीतिगत परिवर्तनों के साथ जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, ताकि SC समुदायों के भीतर विभाजन न हो और सामूहिक उत्थान की भावना बनी रहे।

स्रोत: TH

भारतीय विदेश सचिव ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ वार्ता की

सन्दर्भ

- भारत और श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अद्यतन करने संबंधी वार्ताओं को आगे बढ़ाने तथा शीघ्र ही सामाजिक सुरक्षा समझौते (Social Security Pact) पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारत के दौरे पर आए भारतीय विदेश सचिव और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच हुई वार्ता में पारस्परिक हितों के मुद्दों तथा प्रमुख द्विपक्षीय परियोजनाओं की समीक्षा पर चर्चा हुई।
- दोनों पक्षों ने 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए भारतीय रुपये (INR) में नामित ऋण सहायता (Lines of Credit - LoCs) से संबंधित समझौतों का आदान-प्रदान किया, जो चक्रवात डिटवाह (Cyclone Ditwah) के बाद भारत द्वारा प्रदान किए गए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज का हिस्सा हैं।
- इन LoCs का उपयोग चक्रवात के बाद उत्पन्न पुनर्निर्माण, अवसंरचना विकास तथा खरीद संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा।
- दोनों पक्ष विद्युत ग्रिड अंतर-संपर्क परियोजना, सम्पूर सौर ऊर्जा परियोजना तथा त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र (Energy Hub) के रूप में विकसित करने की परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर सहमत हुए।

भारत–श्रीलंका संबंध

- **राजनयिक संबंध**: श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद 1948 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
- **व्यापारिक संबंध**: भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (ISFTA), जो वर्ष 2000 में लागू हुआ, ने दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- भारत परंपरागत रूप से श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है और श्रीलंका, सार्क (SAARC) के भीतर भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है।
- भारत, श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से भी एक है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार (Merchandise Trade) 7.18 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 5.52 अरब अमेरिकी डॉलर तथा श्रीलंका का निर्यात 1.66 अरब अमेरिकी डॉलर था।
- वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों को शामिल करने वाले आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ETCA) को अंतिम रूप देने के लिए वार्ताएँ 2023 में पाँच वर्ष के अंतराल के बाद पुनः प्रारंभ हुईं।
- **सांस्कृतिक संबंध**: 1977 में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग समझौता दोनों देशों के बीच समय-समय पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों का आधार है।
- **पर्यटन**: भारत परंपरागत रूप से श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा विदेशी पर्यटक स्रोत रहा है, जिसके बाद चीन का स्थान है।
- वर्ष 2025 में भारत से लगभग 5.31 लाख पर्यटक श्रीलंका पहुँचे, जो वहाँ के कुल पर्यटक आगमन का 22.5% था।
- **समुद्री सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग**: 2011 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (Colombo Security Conclave) की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
- भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति', त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 'दोस्ती' तथा नौसैनिक अभ्यास SLINEX आयोजित करते हैं।
- **संपर्क (कनेक्टिविटी) परियोजनाएँ**: हाल ही में दोनों देशों ने समुद्री, ऊर्जा तथा जन-से-जन संपर्क को सुदृढ़ करने हेतु एक दृष्टि-पत्र (Vision Document) अपनाया।
- दोनों देशों के बीच स्थलीय पुल (Land Bridge) विकसित करने की योजना है, जिससे भारत को त्रिंकोमाली और कोलंबो बंदरगाहों तक स्थलीय पहुँच प्राप्त होगी तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- इस व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण परियोजनाओं में नागपट्टिनम (तमिलनाडु) और कांकेसनथुरई (श्रीलंका) के बीच फेरी सेवा का संचालन शामिल है।
- **कांकेसनथुरई बंदरगाह** के विकास हेतु भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार को 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान किया है।
- **बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग**: भारत और श्रीलंका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ तथा बिम्सटेक (BIMSTEC) जैसे अनेक क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य हैं और सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं।

चिंता के क्षेत्र

- **मछुआरों का मुद्दा**: श्रीलंका की भारतीय समुद्री सीमा से निकटता के कारण मछलियों की तलाश में दोनों देशों के मछुआरे अक्सर समुद्री सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं।
- वर्ष 2016 से इस समस्या के समाधान हेतु मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) कार्यरत है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के मछुआरों की तात्कालिक समस्याओं का समाधान तथा स्थायी समाधान खोजना है।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव**: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाहों में चीन के बढ़ते रणनीतिक निवेश चिंता का विषय हैं।
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी तथा बंदरगाहों के संभावित सैन्य उपयोग को लेकर भी चिंताएँ हैं।
- **समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताएँ**: पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) एवं आसपास के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती, अवैध मत्स्यन तथा तस्करी जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं।
- ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समुद्री सीमाओं पर निरंतर समन्वय आवश्यक है।
- **श्रीलंका की आंतरिक अस्थिरता**: राजनीतिक अस्थिरता अथवा सरकार में परिवर्तन से द्विपक्षीय समझौतों एवं विकास परियोजनाओं की निरंतरता प्रभावित होती है।
- आंतरिक अस्थिरता के कारण अवसंरचना एवं आर्थिक परियोजनाओं में विलंब भी होता है।

आगे की राह

- भारत और श्रीलंका के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक संबंध हैं, जिन्हें व्यापार, रक्षा तथा विकास सहयोग और अधिक सुदृढ़ बनाते हैं।
- यद्यपि चीन का बढ़ता प्रभाव तथा आर्थिक अस्थिरता जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।
- आर्थिक एवं समुद्री सहयोग को और मजबूत करके तथा जन-से-जन संबंधों को सुदृढ़ बनाकर हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत, पारस्परिक रूप से लाभकारी एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साझेदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

स्रोत: IE

राष्ट्रीय परिपत्र जैव-ऊर्जा योजना (गोबरधन योजना)

सन्दर्भ

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय परिपत्र जैव-ऊर्जा योजना (गोबरधन – Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan) को ₹23,731 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृति प्रदान की है।

गोबरधन योजना क्या है?

- **राष्ट्रीय परिपत्र(Circular) जैव-ऊर्जा योजना** का उद्देश्य संपीड़ित जैव-गैस (CBG) के उत्पादन के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, जिसमें प्रबंधित मूल्य निर्धारण तंत्र, पूंजीगत सब्सिडी, पाइपलाइन अवसंरचना सहायता तथा वित्त तक आसान पहुँच शामिल है।
- इसका उद्देश्य देश में CBG उत्पादन को 10 गुना से अधिक बढ़ाना तथा इस क्षेत्र के लिए स्थिर एवं पूर्वानुमेय निवेश वातावरण तैयार करना है।

यह निम्नलिखित पूर्ववर्ती कार्यक्रमों द्वारा रखी गई आधारशिला पर आधारित है:

- सस्ती परिवहन व्यवस्था हेतु सतत विकल्प (SATAT) पहल;
- जैविक खाद के लिए बाजार विकास सहायता (MDA) योजना;
- बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी (BAM) योजना;
- पाइपलाइन अवसंरचना विकास (DPI) योजना; तथा
- वित्तीय सहायता हेतु राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम।
- यह कृषि अवशेषों, पशु अपशिष्ट (गोबर), चीनी उद्योग के अपशिष्ट (जैसे प्रेस मड), शहरी जैविक कचरे तथा अन्य जैव-अवक्रमणीय बायोमास जैसे विविध जैविक अपशिष्टों से संपीड़ित जैव-गैस (CBG) के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है।
- उत्पादित CBG को परिवहन क्षेत्र में उपयोग के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) के साथ मिश्रित किया जा सकता है तथा पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया जा सकता है।

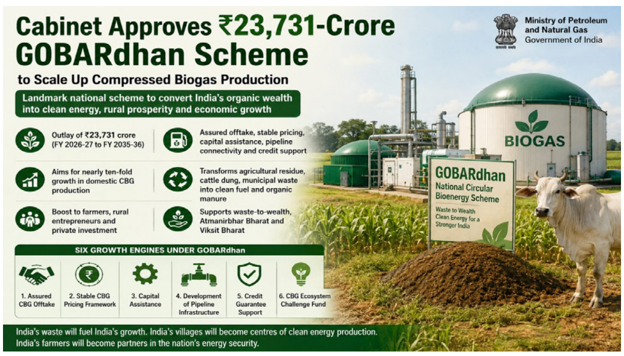

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- **सुनिश्चित बाजार एवं प्रशासित मूल्य निर्धारण**: संपीड़ित जैव-गैस (CBG) का प्रशासित मूल्य ₹2,110 प्रति मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (MMBTU) निर्धारित किया गया है, साथ ही सुनिश्चित बाजार और प्रशासित मूल्य निर्धारण की व्यवस्था की गई है।
- यह सरकारी समर्थन और बाज़ार-आधारित लागत-साझाकरण के संयोजन के माध्यम से उत्पादकों के लिए दीर्घकालिक राजस्व स्थिरता तथा उपभोक्ताओं के लिए वहनीय लागत सुनिश्चित करता है।
- **पूंजीगत सहायता**: पात्र ग्रीनफील्ड तथा क्षमता विस्तार करने वाली ब्राउनफील्ड CBG परियोजनाओं को स्थापित CBG क्षमता के प्रति टन प्रतिदिन (TPD) पर ₹2 करोड़ तक की पूंजीगत सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसमें संयंत्र की मुख्य मशीनरी, फीडस्टॉक संग्रहण अवसंरचना तथा जैविक खाद प्रसंस्करण की सुविधाएँ शामिल हैं।
- इससे परियोजनाओं की प्रारंभिक लागत कम होने तथा निजी उद्यमों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), सहकारी समितियों एवं ग्रामीण उद्यमियों की भागीदारी बढ़ने की संभावना है।
- **पाइपलाइन अवसंरचना का विकास**: इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक पाइपलाइन अवसंरचना का विकास है।
- इसके अंतर्गत क्लस्टर-आधारित पाइपलाइन नेटवर्क, CBG संयंत्रों को मुख्य पाइपलाइन (Trunk Pipeline) से जोड़ने वाली स्वतंत्र पाइपलाइनें तथा सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क के साथ एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा।
- बेहतर संपर्क से परिवहन एवं निकासी लागत में कमी आएगी, विश्वसनीय गैस उठान (Offtake) सुनिश्चित होगा, बाजार तक पहुँच का विस्तार होगा तथा देश में उत्पादित CBG के उपयोग में वृद्धि होगी।

महत्व

- यह योजना अनेक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समर्थन देती है, जैसे— ऊर्जा सुरक्षा, परिपत्र अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट से संपदा (Waste-to-Wealth) मिशन, आत्मनिर्भर भारत, जलवायु परिवर्तन शमन, आय के विविध स्रोतों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करना तथा विकसित भारत का लक्ष्य।
- यह क्षेत्र की तीन दीर्घकालिक आवश्यकताओं— लाभकारी मूल्य, सुनिश्चित खरीद (Offtake) तथा पूंजीगत सहायता— को पूरा करती है, जिससे वर्तमान लगभग 300 संचालित CBG संयंत्रों की संख्या समय के साथ बढ़कर लगभग 5,000 होने की संभावना है।

अपेक्षित लाभ

- **ऊर्जा सुरक्षा**: आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी तथा स्वच्छ गैसीय ईंधन का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा।
- **अपशिष्ट प्रबंधन**: कृषि, पशुधन, औद्योगिक एवं शहरी अपशिष्ट को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करेगा तथा जैविक अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान को बढ़ावा देगा।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था**: किसानों को कृषि अवशेष एवं पशुओं के गोबर की बिक्री से अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे तथा CBG इकाइयों की स्थापना एवं संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित होंगे।
- **पर्यावरणीय लाभ:** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी, पराली जलाने एवं जैविक कचरे के खुले में निपटान में कमी होगी, जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
- **निजी निवेश**: स्थिर मूल्य निर्धारण एवं पूंजीगत सहायता से जैव-ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा तथा परियोजनाओं का वित्तीय समापन तेज़ी से होगा।

चुनौतियाँ

- पाइपलाइन अवसंरचना का समय पर विकास।
- फीडस्टॉक का विश्वसनीय संग्रहण एवं एकत्रीकरण।
- केंद्रीय एजेंसियों, राज्यों एवं स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय।
- CBG संयंत्रों की वित्तीय स्थिरता एवं परिचालन दक्षता सुनिश्चित करना।
- CBG एवं जैविक खाद की गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखना।

आगे की राह

- गोबरधन योजना की सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, सुदृढ़ अवसंरचना, समय पर वित्तीय सहायता तथा निजी निवेशकों एवं ग्रामीण उद्यमों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करेगी।
- पूर्वानुमेय मूल्य निर्धारण व्यवस्था, बेहतर संपर्क एवं पूंजीगत सहायता के माध्यम से यह योजना भारत के CBG क्षेत्र को स्वच्छ ऊर्जा, सतत अपशिष्ट प्रबंधन तथा ग्रामीण आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाने की क्षमता रखती है।

स्रोत: TH

अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (RDI) कोष के अंतर्गत ऋण वितरण

सन्दर्भ

- अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (RDI) कोष के अंतर्गत 22 निजी कंपनियों को रियायती ऋण (Soft Loans) वितरित किए गए।

RDI कोष का परिचय

- अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (RDI) कोष की स्थापना सरकार द्वारा 2025 में की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत छह वर्षों की अवधि में ₹1 लाख करोड़ का कोष बनाने की परिकल्पना की गई है।
- **उद्देश्य**: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा, रोबोटिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, सेमिकण्डक्टर्स तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवा जैसे प्राथमिकता वाले गहन-प्रौद्योगिकी (Deep-Tech) क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान एवं नवाचार में संलग्न निजी क्षेत्र की कंपनियों को बिना संपार्श्विक, कम लागत वाले और दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना।
- **प्रबंधन**: यह कोष अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के अंतर्गत संचालित किया जाता है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन हाल ही में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- ANRF के अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन कोष (SPF) बनाया गया है, जो RDI कोष के लिए आवंटित धनराशि का संरक्षक है।
- **कोष का वितरण**: यह द्वितीय-स्तरीय कोष प्रबंधकों (SLFMs) के रूप में नामित संगठनों के माध्यम से किया जाता है, जो वित्तपोषण हेतु पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं (ETEs) का चयन भी करते हैं।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अधीन एक वैधानिक निकाय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) तथा
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के पूर्ण स्वामित्व वाली धारा 8 के अंतर्गत स्थापित गैर-लाभकारी कंपनी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (BIRAC) को SLFM के रूप में चुना गया है।
- **निवेश समिति**: ETEs के मूल्यांकन एवं चयन की जिम्मेदारी उन निवेश समितियों को सौंपी गई है, जिन्हें प्रत्येक SLFM अलग-अलग गठित करता है।
- SLFMs विस्तृत पृष्ठभूमि जाँच सहित विभिन्न आकलनों के बाद अंतिम निर्णय लेते हैं, किंतु जिस कंपनी की अनुशंसा निवेश समिति नहीं करती, उसका चयन नहीं किया जाता।
- **ऋण का प्रकार**: ETEs को RDI कोष से उनकी परियोजना लागत का अधिकतम 50% तक ऋण प्राप्त हो सकता है। ये बिना संपार्श्विक (Collateral-Free) ऋण हैं, जिन पर लगभग 2–4% ब्याज दर लागू होती है तथा इनकी अवधि 15 वर्ष होती है।
- **आवेदन हेतु पात्रता**: केवल वे प्रौद्योगिकियाँ आवेदन कर सकती हैं, जो TRL-4 स्तर (प्रयोगशाला परिस्थितियों में उत्पाद का सत्यापन) तक पहुँच चुकी हों।
- प्रस्तावों का मूल्यांकन वैज्ञानिक, तकनीकी, वित्तीय एवं वाणिज्यिक आधारों पर किया जाता है तथा निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है।

प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (TRL)

- **TRL (Technology Readiness Level)** एक ऐसा मापदंड है, जिसका उपयोग विकसित की जा रही प्रौद्योगिकी की परिपक्वता (Maturity) को मापने के लिए किया जाता है।
- **TRL-1,** जो इसका सबसे निम्न स्तर है, तब प्राप्त होता है जब किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करने के मूलभूत सिद्धांत स्थापित हो जाते हैं।
- **TRL-9,** जो इसका सर्वोच्च स्तर है, उस प्रौद्योगिकी को दर्शाता है जो वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक सिद्ध हो चुकी हो।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

राज्यसभा ने ₹54,067 करोड़ के व्यय हेतु विनियोग विधेयक पारित किया

सन्दर्भ

- राज्यसभा ने विनियोग विधेयक, 2026 पारित किया, जिसके तहत वित्त वर्ष 2022–23 में किए गए व्यय के लिए अतिरिक्त अनुदान (Excess Grants) के रूप में भारत की संचित निधि से ₹54,067.44 करोड़ निकालने की अनुमति दी गई।

विनियोग विधेयक क्या है?

- विनियोग विधेयक भारत के संविधान के **अनुच्छेद 114** के तहत प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से धन निकालने की अनुमति देना है।
- यह लोकसभा द्वारा पहले से स्वीकृत धनराशि तथा **अनुच्छेद 114(3)** के तहत अधिकृत भारित व्यय (Charged Expenditure) के विनियोग से संबंधित होता है।
- इस विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका उद्देश्य पहले से स्वीकृत व्यय के लिए केवल अनुमति प्राप्त करना है।
- इसे **अनुच्छेद 113** के तहत लोकसभा द्वारा अनुदानों की मांगों (Demands for Grants) पर मतदान किए जाने के बाद प्रस्तुत किया जाता है।

अतिरिक्त अनुदान (Excess Grants) क्या हैं?

- अतिरिक्त अनुदान तब आवश्यक होते हैं जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय संसद द्वारा मूल रूप से स्वीकृत राशि से अधिक हो जाता है।
- पूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान के मामलों में **अनुच्छेद 115** के तहत एक अलग विनियोग विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, ताकि संचित निधि से अतिरिक्त राशि निकालने की अनुमति मिल सके।
- इन्हें वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किया जाता है और संसदीय स्वीकृति से पहले लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा इनकी जाँच की जाती है।

स्रोत: TH

गुड समैरिटन (Good Samaritan)योजना

सन्दर्भ

- वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पिछले पाँच वर्षों में केवल 813 लोगों को गुड समैरिटन योजना के अंतर्गत पुरस्कार दिया गया है

परिचय

- इसे **2021 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा शुरू** किया गया था।
- राहगीर, जिन्हें **गुड समैरिटन या राह-वीर** कहा जाता है, सड़क पर लोगों की जान बचाने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से हैं। वे अक्सर **सड़क दुर्घटना के घटनास्थल पर सबसे पहले पहुँचने वाले सहायता प्रदाता** होते हैं।
- यह योजना **उस व्यक्ति को ₹25,000 का पुरस्कार** प्रदान करती है, जो किसी दुर्घटना पीड़ित को **"गोल्डन ऑवर" अर्थात गंभीर दुर्घटना के बाद के पहले 60 मिनट के भीतर अस्पताल पहुँचाने में सहायता** करता है।
- पहले पुरस्कार की राशि ₹5,000 थी।
- लोगों को दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने तथा दूसरों को जीवन बचाने के लिए प्रेरित करने हेतु नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र की व्यवस्था की गई है।

योजना के अंतर्गत आँकड़े

- वर्ष 2021-22 में केवल 77 गुड समैरिटन को पुरस्कार दिया गया, इसके बाद 2022-23 में 75, 2023-24 में 384, 2024-25 में 177 तथा 2025-26 में 100 लोगों को पुरस्कार दिया गया।
- **उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश** देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली कुल मौतों में लगभग दो-तिहाई के लिए जिम्मेदार हैं।
- इन आठ राज्यों में **राजस्थान** ने सबसे अधिक संख्या में गुड समैरिटन को पुरस्कार दिया, इसके बाद **बिहार, मध्य प्रदेश,**

उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान रहा।

- पिछले पाँच वर्षों में दो राज्यों में योजना के अंतर्गत किसी भी लाभार्थी को पुरस्कार नहीं दिया गया।

स्रोत: IE

ब्लू ज़ोन

सन्दर्भ

- ओकिनावा, जापान, जो विश्व के मान्यता प्राप्त ब्लू ज़ोन में से एक है, **अपनी उच्च जीवन प्रत्याशा और स्वस्थ वृद्धावस्था** के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है।

ब्लू ज़ोन क्या हैं?

- ब्लू ज़ोन ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जहाँ लोग औसत की तुलना में अधिक लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं तथा **100 वर्ष से अधिक आयु** वाले लोगों (शतायु) की असाधारण संख्या पाई जाती है।
- इस अवधारणा को **पत्रकार डैन ब्यूटनर, जनसांख्यिकीविद् मिशेल पौलेन और चिकित्सक जियानी पेस** ने असाधारण दीर्घायु वाले क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद विकसित किया।

मान्यता प्राप्त पाँच ब्लू ज़ोन हैं:

- ओकिनावा (जापान)
- सार्डिनिया (इटली)
- निकोया प्रायद्वीप (कोस्टा रिका)
- इकारिया (ग्रीस)
- लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया (संयुक्त राज्य अमेरिका)

स्रोत: TH

फरक्का संधि

सन्दर्भ

- **1996 की फरक्का संधि के 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने की संभावना** के बीच, बिहार की भविष्य की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसके प्रावधानों की समीक्षा करने की मांग उठाई गई है।

परिचय

- फरक्का संधि, जिसे गंगा जल संधि के नाम से भी जाना जाता है, पर 12 दिसंबर 1996 को भारत के प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हस्ताक्षर हुए थे।
- यह संधि फरक्का बैराज पर गंगा के जल के बँटवारे को नियंत्रित करती है। कम प्रवाह की अवधि (11 मार्च–11 मई) के दौरान, जल की उपलब्धता के आधार पर 10-10 दिनों की अवधि में बारी-बारी से प्रत्येक देश को 35,000 क्यूसेक पानी आवंटित किया जाता है।
- फरक्का बैराज, जो पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी पर निर्मित है, का निर्माण कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता में सुधार करने के लिए किया गया था। इसके लिए पानी को हुगली नदी में मोड़ा गया।
- **अनुच्छेद XII** में प्रावधान है कि 30 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद आपसी सहमति से संधि का नवीनीकरण किया जा सकता है।

स्रोत: TOI

भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए उपाय

चर्चा में क्यों?

- सरकार ने ईरान, होर्मुज़ जलडमरूमध्य, फारस की खाड़ी तथा आसपास के जलक्षेत्रों में सुरक्षा तनाव के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक रूपरेखा लागू की है।

नाविकों की सुरक्षा

- नाविक वैश्विक अर्थव्यवस्था को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विश्व के 80% से अधिक व्यापार का परिवहन करते हैं।
- भारत विश्व में नाविकों के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक है और भविष्य के लिए तैयार समुद्री कार्यबल के निर्माण हेतु कल्याण, कौशल विकास एवं पुनःकौशल विकास पहलों को मजबूत करने पर ध्यान देना आवश्यक है।

भारतीय नाविकों की सुरक्षा: प्रमुख उपाय

- **'नाविक-प्रथम' रूपरेखा**: सरकार ने बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए 'Seafarer-First' रूपरेखा अपनाई है।
- **सुरक्षा परामर्श**: सरकार ने 2026 में कई DGS परिपत्र जारी किए हैं, जिनमें संघर्ष क्षेत्रों में संचालन न करने, होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर यात्राओं को प्रतिबंधित करने, जहाजों पर सुरक्षा अभ्यास अनिवार्य करने, यात्रा-विशिष्ट जोखिम आकलन करने, ISPS कोड का अनुपालन करने तथा नाविकों से तेहरान स्थित भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने की सिफारिश की गई है।

- **ई-नाविक पोर्टल**: सरकार ने 1 जुलाई 2026 से प्रभावी ई-नाविक पोर्टल के माध्यम से भारतीय नाविकों की निगरानी एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था को मजबूत किया है। यह पोर्टल 24×7 डिजिटल रिपोर्टिंग, संकट प्रबंधन एवं शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करता है।
- ऑनलाइन जहाज रिपोर्टिंग प्रणाली उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों की वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराती है।
- कंपनी सुरक्षा अधिकारियों (Company Security Officers) को जहाज एवं चालक दल का विवरण DG संचार केंद्र को प्रस्तुत करना होता है।
- **संचार एवं निगरानी**: 24×7 नियंत्रण कक्ष और DG संचार केंद्र (MMDAC) भारतीय नौसेना के साथ मिलकर कार्य करते हैं।
- नियमित सुरक्षा परामर्श एवं नौवहन चेतावनियाँ जारी की जाती हैं तथा आपातकालीन संचार प्रोटोकॉल स्थापित किए गए हैं।
- **निकासी एवं स्वदेश वापसी**: 60 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजर चुके हैं तथा 3,972 भारतीय नाविकों को खाड़ी क्षेत्र से स्वदेश वापस लाया गया है।
- **नाविक कल्याण कोष सोसायटी**: यह संस्था लगातार जानकारी, कल्याण परामर्श तथा मृत्यु की स्थिति में परिवारों को ₹10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **नियंत्रित तैनाती**: भारतीय नाविकों का रोजगार केवल लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है, जिनका अनुमोदन, तैनाती संबंधी प्रतिबंधों के अनुपालन तथा सुरक्षित प्रवासन प्रक्रियाओं के लिए सत्यापन किया गया है।
- **सहमति-आधारित चालक दल परिवर्तन**: संघर्ष क्षेत्रों में आपातकालीन चालक दल परिवर्तन केवल नाविक की स्पष्ट सहमति से तथा निर्धारित कानूनी एवं सुरक्षा ढाँचे के अंतर्गत ही किया जा सकता है।
- सरकार ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से तैनाती को हतोत्साहित करने के लिए परामर्श जारी किए हैं, ताकि नाविकों को जोखिमपूर्ण यात्राओं के लिए बाध्य न किया जाए।
- **जोखिम प्रकटीकरण एवं उचित जाँच**: शिपिंग कंपनियों एवं एजेंसियों को नाविकों की नियुक्ति से पहले उन्हें यात्रा मार्ग, सुरक्षा जोखिम, जहाज का विवरण, बीमा तथा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में संभावित जोखिम के बारे में जानकारी देनी चाहिए।
- **शिकायत निवारण**: आपातकालीन सहायता एवं शिकायत निवारण के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन, व्हाट्सऐप सहायता, ई-मेल सहायता, ई-नाविक पोर्टल तथा DG संचार केंद्र के माध्यम से 24×7 सहायता प्रणाली उपलब्ध कराई गई है।

स्रोत :PIB

तृतीय पक्ष (Third Party) बीमा कवरेज

सन्दर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने नए वाहनों के लिए अनिवार्य तृतीय-पक्ष मोटर बीमा कवरेज को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।

तृतीय-पक्ष बीमा कवरेज

- तृतीय-पक्ष देयता बीमा ऐसी बीमा पॉलिसी है, जो किसी बीमा कंपनी से खरीदी जाती है और पॉलिसीधारक के कार्यों के कारण किसी तीसरे पक्ष को हुए नुकसान के संबंध में किए गए दावों से पॉलिसीधारक को सुरक्षा प्रदान करती है।
- तृतीय-पक्ष देयता बीमा का एक सामान्य उदाहरण कार बीमा है, जो दुर्घटना की स्थिति में अन्य वाहन चालकों द्वारा किए गए दावों से आपकी सुरक्षा करता है।
- मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सभी वाहन मालिकों के लिए यह एक वैधानिक आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

- अब नई कारों के लिए चार वर्ष तथा दोपहिया वाहनों के लिए छह वर्ष का बीमा कवरेज होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में एस. राजशेखरन बनाम भारत संघ मामले में नए वाहनों के खरीदारों के लिए कारों पर तीन वर्ष तथा दोपहिया वाहनों पर पाँच वर्ष का तृतीय-पक्ष बीमा अनिवार्य किया था।
- न्यायालय ने केंद्र को एक पायलट परियोजना तैयार करने का निर्देश दिया, जिसके तहत वैध बीमा प्राप्त होने तक पेट्रोल पंपों पर वाहनों को ईंधन देने से इनकार किया जा सके।
- राजमार्गों एवं सड़कों पर यातायात उल्लंघनों का पता लगाने के लिए लगाए गए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों (ANPR Cameras) को भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (IIB) द्वारा रखे गए बीमा संबंधी आँकड़ों तथा VAHAN पोर्टल पर उपलब्ध वाहन पंजीकरण आँकड़ों के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- राज्य पुलिसकर्मियों को IIB और VAHAN डेटाबेस से जुड़े मोबाइल अनुप्रयोग उपलब्ध कराए जाएंगे।

तृतीय-पक्ष बीमा अनिवार्य करने की आवश्यकता

- मोटर वाहन अधिनियम (MVA) की धारा 146 के तहत अनिवार्य बीमा का उद्देश्य केवल सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देना ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रिया में न उलझना पड़े।
- वाहनों के बिना बीमा के रहने का परिणाम यह होता है कि दुर्घटना के पीड़ितों एवं उनके परिवारों के पास उचित समयावधि के भीतर पर्याप्त मुआवजा प्राप्त करने का कोई प्रभावी उपाय नहीं रह जाता।

स्रोत: TH

अग्नि-4

सन्दर्भ

- भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया।

परिचय

- अग्नि-4 एक दो चरणों वाली, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम, परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटरों से संचालित होती है।
- इसकी मारक क्षमता 4,000 किमी तक है और यह भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- यह मिसाइल 20 मीटर लंबी, 1.3 मीटर व्यास वाली है, इसका वजन लगभग 17 टन है तथा यह लगभग 1,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है।
- इसे सड़क-गतिशील, स्व-निहित प्रक्षेपक (Launcher) से प्रक्षेपित किया जा सकता है, जिससे इसकी जीवित रहने की क्षमता (Survivability) तथा परिचालनिक लचीलापन बढ़ता है।
- अग्नि-4 भारत की अग्नि श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइलों का हिस्सा है, जिसमें अग्नि-I, अग्नि-II, अग्नि-III, अग्नि-IV, अग्नि-V तथा नवीन अग्नि-प्राइम शामिल हैं।

स्रोत: TOI

पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

- रामनाथपुरम की पी. पेचियम्मल और विल्लुपुरम की गोविंदम्मल को पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 (Dr. M. S. Swaminathan Award) प्रदान किया गया।

क्या आप जानते हैं ?

- **पेचियम्मल** को तटीय क्षेत्रों से भूतिया मछली पकड़ने के उपकरण (Ghost Fishing Gear)—जैसे छोड़े गए मछली पकड़ने के जाल, नायलॉन की रस्सियाँ और प्लास्टिक कचरा—एकत्र करने में अग्रणी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। इस पहल से समुद्री प्रदूषण को कम करने में मदद मिली है।
- **गोविंदम्मल** को सतत कृषि को बढ़ावा देने, किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने तथा उन्नत कृषि पद्धतियों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन पुरस्कार

- इसकी स्थापना रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट (RCME) द्वारा इसके मानद सदस्य एवं कृषि वैज्ञानिक स्वर्गीय एम. एस. स्वामीनाथन(M.S. Swaminathan) के नाम पर की गई थी।
- इसे कैविनकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
- यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति, कंपनी या गैर-सरकारी संगठन (NGO) को प्रदान किया जाता है, जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता को बढ़ावा देने में योगदान दिया हो।

एम. एस. स्वामीनाथन

जन्म एवं प्रारंभिक जीवन

- उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम, तमिलनाडु में हुआ था।
- 1942–43 के बंगाल अकाल को देखने के बाद उन्होंने चिकित्सा के बजाय कृषि को चुना। उनका मानना था कि बेहतर फसल किस्में किसानों के जीवन को बदल सकती हैं और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं।

योगदान

- **हरित क्रांति:** उन्होंने 1960 और 1970 के दशक में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत को खाद्य कमी एवं आयात पर निर्भरता से खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर परिवर्तित किया।

वैज्ञानिक प्रयास:

- उन्होंने 1954 में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में उर्वरक-प्रतिक्रियाशीलता में सुधार के लिए उच्च उपज देने वाली चावल की किस्मों के विकास हेतु अनुसंधान शुरू किया।
- उन्होंने ऐसी अर्ध-बौनी एवं उर्वरक-प्रतिक्रियाशील गेहूँ की किस्मों की आवश्यकता को पहचाना, जिनमें फसल गिरने की समस्या न हो।
- उन्होंने नॉर्मन ई. बोरलॉग और ऑरविल वोगेल के साथ मिलकर मैक्सिकन बौनी गेहूँ की किस्मों को भारत में प्रस्तुत किया, जिससे 1960 के दशक के अंत तक भारत में गेहूँ क्रांति की शुरुआत हुई।
- वे फिलीपींस स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) के महानिदेशक (1982–88) बनने वाले पहले भारतीय थे और उनके नेतृत्व को 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पर्यावरण संरक्षण

- उन्होंने ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में मैंग्रोव के पुनर्स्थापन तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए व्यापक कार्य किया।
- उन्होंने 1999 में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के न्यासी प्रबंधन (Trusteeship Management) की अवधारणा प्रस्तुत की।
- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) के सहयोग से उन्होंने मन्नार की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र न्यास की स्थापना में सहायता की।
- उन्होंने 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद भविष्य की आपदाओं से तटीय समुदायों की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की वकालत की।

किसानों का कल्याण

- राष्ट्रीय किसान आयोग (2004–06) के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सिफारिश की कि किसानों को लाभकारी आय सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक (C2+50%) होना चाहिए।

पुरस्कार:

- वर्ष 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
- हरित क्रांति को सफल बनाने वाले उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा उन्हें "आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक" (Father of Economic Ecology) के रूप में मान्यता दी गई।

स्रोत :TH